न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020

अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955

श्रीमति शारदा — बनाम — कमलेश व अन्य

दिनांक 05.10.2020

वादीया/प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित आराजियात वर्किंग खसरा नम्बर 1140 रकबा 00–18–00 आधार खसरा संख्या 1536 रकबा 0.08, खसरा संख्या 1542 रकबा 0.03, खसरा संख्या 1543 रकबा 0.03 कुल किता–3 कुल रकबा 0.14हैक्टयर भूमि मे से प्रार्थीया/वादीया द्वारा दिनांक 19.12.2017 को 1/6 हिस्सा क्रय किया गया है। जिस पर प्रार्थीया!वादीया क्रय दिनांक से ही काबिज है। किन्तु वर्णित आराजियात के पूर्व खातेदार कल्ला उर्फ बालसिंह व मदन पुत्र हीरा 1/3 हिस्सा निहित था जो कल्ला उर्फ बालसिंह व मदन पुत्र हीरा द्वारा जरिये मुख्तयारआम गोपाल कृष्ण मित्तल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2011 को बैचान कर दिया। उक्त क्रयशुदा 1/3 हिस्से मे अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा 1/2 हिस्सा प्रार्थीया को पजींकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2017 को बैचान कर दिया था। इस प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 1143 रकबा 01–06–00 आधार खसरा नम्बर 1551/2011 रकबा 0.02, 1546 रकबा 0.02,1547 रकबा 0.07, खसरा संख्या 1548 रकबा 0.10 कुल किता–4 कुल रकबा 0.21हैक्टयर उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा जरिये मुख्तयारआम गोपालकृष्ण मित्तल बैचान कर दिया। अप्रार्थीगण विदित आराजी पर भूखण्ड काटकर प्रार्थीया/वादीया की आराजी मे मदाखलत उत्पन्न कर प्रार्थी को अपनी क्रयशुदा काराजी से बेदखल करने मे सख्त आमादा है यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड काटकर विक्रय करने व प्रार्थी की भूमि मे दखलन्दाजी उत्पन्न करने पर प्रार्थीया/वादीया को अपूरर्णीय क्षति कारित होना तय है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थीया/वादीया के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्राथीया/वादिया की क्रयशुदा हिस्से की आराजी मे अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी करने तथा भूमि के विशिष्ट भूभाग पर भूखण्ड काटकर विक्रय करने पर प्रार्थीया/वादीया के हित प्रभावित होना संभावित है यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थी/वादी को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया/वादीया के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 20.10.2020 तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी/वादीया के हिस्से की भूमि मे मदाखलत एंव दखलन्दाजी उत्पन्न नही करे। उभय पक्ष मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमे कोई उज्र हो तो नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस व तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.10.2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर।

दिनाक 29/10/2020 पत्रावली पेश हुई। ~~स्थगन~~ प्रार्थी आज समय चाहते है। मिसल दिनाक 07/01/2021 को वास्ते तलबी पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

04/1/2021 आज अभिभाषक के द्वारा ज्ञापन पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा ज्ञापन के विरुद्ध जिस पर प्रार्थी वादी के अभिभाषक ने ज्ञापन को [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच [illegible] अपने को उक्त स्थिति से सम्बन्धित रिपोर्ट [illegible] के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा ज्ञापन को स्वीकार कर परिवादी पक्ष को निवेदन किया ज्ञापन मय अभिभाषक स्वीकार किया जाता है। ज्ञापन को स्वीकार पर पैरवी किये किया जाता है। पत्रावली रोस्टर सुनवाई नम्बर से पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2021.01.27 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner